



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042025-262770
CG-DL-E-30042025-262770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947
No. 329] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2025

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1211).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 17802 (भाग 1) : 2021 आइसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए अभिगम्यता भाग 1 अपेक्षाएं	संशोधन संख्या 2 अप्रैल 2025	10 अप्रैल 2025	09 अक्टूबर 2025

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./61/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April 2025

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1211).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 17802 (Part 1) : 2021 Accessibility for the ICT Products and Services Part 1 Requirements	Amendment No. 2 April 2025	10 April 2025	09 October 2025

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)
[ADVT.-III/4/Exty./61/2025-26]